

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 43/2024

प्रार्थी-  
राजस्थान सरकार जरिये  
प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी-  
श्री खेताराम पुत्र श्री रतनलाल माली  
जाति माली, निवासी स्टेशन उत्तरलाई  
जिला बाड़मेर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी सूचना बावजूद अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 26.11.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 21.05.2024 को श्री सुरेश विश्नोई, प्रवर्तन निरीक्षक बाड़मेर द्वारा मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स गिरधर रेस्टोरेट, जोधपुर रोड़ उत्तरलाई पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर दुकान मालिक अप्रार्थी श्री खेताराम पुत्र रतनलाल उपस्थित मिला। उक्त दुकान में चाय, खाना बनाकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा था। इस दुकान की जांच की तो तीन घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रयोग में लेना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर (आईओसीएल) मार्क का पाया गया, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है-



  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	737462	IOCL	20.100 Kg	15.900 Kg	04.200 Kg
2.	332848	IOCL	29.700 Kg	15.600 Kg	14.100 Kg
3.	752826	IOCL	30.000 Kg	16.300 Kg	13.700 Kg

मौके पर उक्त दुकान में पाये गये घरेलू उपयोग के गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किये जाने एवं संग्रह करने पर उक्त गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। मौके पर जब्तशुदा 3 घरेलू गैर सिलेण्डर मैसर्स थार गैस एजेन्सी वितरक के मैनेजर श्री ओमसिंह पुत्र श्री करणसिंह, जाति राजपूत, निवासी रेन बसेरा के पीछे, बाड़मेर को सुपुर्दनामे पर सुपुर्द किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभियोजन अधिकारी को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग लेते हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किया गया है जो वर्तमान में गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स थार गैस एजेन्सी बाड़मेर को सुपुर्दगी पर दिया गया है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस



*(Handwritten signature)*

जिला कलेक्टर  
बाड़मेर

(प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस सूचना दिये जाने के बावजूद अपना जवाब एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया है और न ही उपस्थित होकर प्रतिवाद किया है जो उसकी अपराध की मौनस्वीकृति है। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों के विपरीत एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे के गैस सिलेण्डर आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तदधीन बनाये गये द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन में पाये जाने से उपरोक्त तीन गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलू गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करें।

5. आदेश आज दिनांक 26.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(टीना डाबी)

जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर

बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 82/2024

प्रार्थी—

राजस्थान सरकार जरिये  
प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी—

श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री रमेश सोनी,  
जाति सोनी, निवासी पनघट रोड़,  
बाड़मेर शहर

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी सूचना बावजूद अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 27.11.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 23.09.2024 को श्री अनिल कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक बाड़मेर द्वारा मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मुस्कान ज्वैलर्स, बाड़मेर पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर दुकान मालिक अप्रार्थी श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री रमेश सोनी उपस्थित मिला। उक्त दुकान में सोने चांदी आभुषण तैयार कर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा था। इस दुकान की जांच की तो एक घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रयोग में लेना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर (आईओसीएल) मार्क का पाया गया, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है—



  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	610564	IOCL	28.700 Kg	15.900 Kg	12.800 Kg

मौके पर उक्त दुकान में पाये गये घरेलू उपयोग के गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किये जाने एवं संग्रह करने पर उक्त गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। मौके पर जब्तशुदा 1 घरेलू गैर सिलेण्डर मैसर्स आईनाथ गैस सर्विस बाड़मेर के मालिक श्री खेतसिंह पुत्र श्री बन्नेसिंह निवासी ग्राम गेहूँ, जिला बाड़मेर को सुपुर्दनामे पर सुपुर्द किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।
3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभियोजन अधिकारी को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग लेते हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किया गया है जो वर्तमान में गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स आईनाथ गैस सर्विस बाड़मेर को सुपुर्दगी पर दिया गया है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस




  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

सूचना दिये जाने के बावजूद अपना जवाब एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया है और न ही उपस्थित होकर प्रतिवाद किया है जो उसकी अपराध की मौनस्वीकृति है। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों के विपरीत एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे के गैस सिलेण्डर आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तदधीन बनाये गये द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन में पाये जाने से उपरोक्त एक गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलू गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करें।

5. आदेश आज दिनांक 27.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(टीना डाबी)  
जिला कलक्टर, बाड़मेर  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 78/2024

प्रार्थी-

राजस्थान सरकार जरिये  
प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी-

श्री जसवन्तसिंह पुत्र श्री मोहबतसिंह  
जाति रावणा राजपूत, निवासी ग्राम  
सोनड़ी, तहसील व जिला बाड़मेर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी सूचना बावजूद अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 27.11.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 25.09.2024 को श्री अनिल कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक बाड़मेर द्वारा मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स जय माजीसा रेस्टोरेन्ट, बाड़मेर पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर दुकान मालिक अप्रार्थी श्री जसवन्तसिंह पुत्र श्री मोहबतसिंह उपस्थित मिला। उक्त दुकान में खाना बनाकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा था। इस दुकान की जांच की तो एक घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रयोग में लेना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर (आईओसीएल) मार्क का पाया गया, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है-



  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	948799E	IOCL	25.000 Kg	15.600 Kg	9.400 Kg

मौके पर उक्त दुकान में पाये गये घरेलू उपयोग के गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किये जाने एवं संग्रह करने पर उक्त गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। मौके पर जब्तशुदा 1 घरेलू गैर सिलेण्डर मैसर्स आईनाथ गैस सर्विस बाड़मेर के मालिक श्री खेतसिंह पुत्र श्री बन्नेसिंह निवासी ग्राम गेहूँ, जिला बाड़मेर को सुपुर्दनामे पर सुपुर्द किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।
3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभियोजन अधिकारी को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग लेते हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किया गया है जो वर्तमान में गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स आईनाथ गैस सर्विस बाड़मेर को सुपुर्दगी पर दिया गया है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस



  
जिला कलेक्टर  
बाड़मेर

सूचना दिये जाने के बावजूद अपना जवाब एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया है और न ही उपस्थित होकर प्रतिवाद किया है जो उसकी अपराध की मौनस्वीकृति है। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों के विपरीत एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे के गैस सिलेण्डर आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तदधीन बनाये गये द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन में पाये जाने से उपरोक्त एक गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलू गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करें।



आदेश आज दिनांक 27.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(टीना डाबी)  
जिला कलक्टर, बाड़मेर  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 77/2024

प्रार्थी-

राजस्थान सरकार जरिये  
प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी-

श्री गजाराम पुत्र श्री गुमनाराम जाति  
जाट, निवासी ग्राम शिवकर, तहसील  
बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी सूचना बावजूद अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 27.11.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 27.09.2024 को श्री अनिल कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक बाड़मेर द्वारा मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स गजाराम होटल, बाड़मेर पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर दुकान मालिक अप्रार्थी श्री गजाराम पुत्र गुमनाराम उपस्थित मिला। उक्त दुकान में चाय बनाकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा था। इस दुकान की जांच की तो एक घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रयोग में लेना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर (आईओसीएल) मार्क का पाया गया, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है-

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	106498S	IOCL	17.200 Kg	15.700 Kg	1.500 Kg




  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

मौके पर उक्त दुकान में पाये गये घरेलू उपयोग के गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किये जाने एवं संग्रह करने पर उक्त गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। मौके पर जब्तशुदा 1 घरेलू गैर सिलेण्डर मैसर्स आईनाथ गैस सर्विस बाड़मेर के मालिक श्री खेतसिंह पुत्र श्री बन्नेसिंह निवासी ग्राम गेहूँ, जिला बाड़मेर को सुपुर्दनामे पर सुपुर्द किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।
3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभियोजन अधिकारी को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग लेते हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किया गया है जो वर्तमान में गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स आईनाथ गैस सर्विस बाड़मेर को सुपुर्दगी पर दिया गया है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस सूचना दिये जाने के बावजूद अपना जवाब एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया है और न ही उपस्थित होकर प्रतिवाद किया है जो उसकी अपराध की मौनस्वीकृति है। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों के विपरीत एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप




  
जिला कलेक्टर  
बाड़मेर

सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे के गैस सिलेण्डर आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तदधीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन मे पाये जाने से उपरोक्त एक गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलू गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करें।
5. आदेश आज दिनांक 27.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(टीना डबी)  
जिला कलक्टर, बाड़मेर  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 65/2024

प्रार्थी-

राजस्थान सरकार जरिये  
प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी-

श्री आबास पुत्र श्री अरबाब, जाति  
मुसलमान निवासी ग्राम अजबे का पार,  
तहसील रामसर जिला बाड़मेर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी सूचना बावजूद अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 27.11.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 21.09.2024 को श्री अनिल कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक बाड़मेर द्वारा मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स अमन मिष्ठान भण्डार, गागरिया पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर दुकान मालिक अप्रार्थी श्री आबास पुत्र श्री अरबाब उपस्थित मिला। उक्त दुकान में मिष्ठान बनाकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा था। इस दुकान की जांच की तो दो घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रयोग में लेना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर (एचपीसीएल) मार्क का पाया गया, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है-



  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	201758T	HPCL	18.300 Kg	15.600 Kg	2.700 Kg
2.	668284	HPCL	17.700 Kg	15.700 Kg	2.000 Kg

मौके पर उक्त दुकान में पाये गये घरेलू उपयोग के गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किये जाने एवं संग्रह करने पर उक्त गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। मौके पर जब्तशुदा 2 घरेलू गैर सिलेण्डर मैसर्स श्री साई कृपा एच. पी. गैस ग्रामीण वितरक, रामसर के मालिक श्री हिम्मतसिंह पुत्र श्री हाथीसिंह, जाति राजपूत, निवासी रामसर को सुपुर्दनामे पर सुपुर्द किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभियोजन अधिकारी को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग लेते हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किया गया है जो वर्तमान में गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स श्री साई कृपा एच. पी. गैस ग्रामीण वितरक, रामसर को सुपुर्दगी पर दिया गया है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु




  
जिला कलेक्टर  
बाड़मेर

अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस सूचना दिये जाने के बावजूद अपना जवाब एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया है और न ही उपस्थित होकर प्रतिवाद किया है जो उसकी अपराध की मौनस्वीकृति है। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों के विपरीत एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे के गैस सिलेण्डर आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तदधीन बनाये गये द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन में पाये जाने से उपरोक्त दोनो गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलू गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करें।

5. आदेश आज दिनांक 27.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(टीना डाबी)  
जिला कलक्टर, बाड़मेर  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 71/2024

प्रार्थी-

राजस्थान सरकार जरिये  
प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी-

श्री बाबुलाल पुत्र श्री रामनदास जाति  
सिंधी, निवासी सिंधी कॉलोनी, बाड़मेर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 27.11.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 19.09.2024 को श्री अनिल कुमार प्रवर्तन निरीक्षक बाड़मेर द्वारा मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स शिवम होटल पैलेस, बाड़मेर पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर दुकान मालिक अप्रार्थी श्री बाबुलाल पुत्र श्री रामनदास उपस्थित मिला। उक्त दुकान में खाना बनाकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा था। इस दुकान की जांच की तो दो घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रयोग में लेना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर (आईओसीएल) मार्क का पाया गया, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है-



  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	756083E	IOCL	20.000 Kg	16.300 Kg	4.100 Kg
2.	502280S	IOCL	16.000 Kg	16.000 Kg	0.000 Kg

2. मौके पर उक्त दुकान में पाये गये घरेलू उपयोग के गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किये जाने एवं संग्रह करने पर उक्त गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। मौके पर जब्तशुदा 2 घरेलू गैर सिलेण्डर मैसर्स आईनाथ गैस सर्विस, बाड़मेर के मालिक श्री खेतसिंह पुत्र श्री बन्नेसिंह निवासी ग्राम गेहूँ, जिला बाड़मेर को सुपुर्दनामे पर सुपुर्द किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजीबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे द्वारा अपने रेस्टोरेन्ट पर रखे घरेलू गैस के सिलेण्डरों का मेरे द्वारा व्यावसायिक रूप से उपयोग नहीं लिया गया था, मात्र घर ले जाने के लिए ही होटल पर रखे हुए थे। लिहाजा उसके विरुद्ध की गई उक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जाकर जब्तशुदा सिलेण्डर उसे दिये जाने का आदेश प्रदान करावे।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभियोजन अधिकारी को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग लेते




  
जिला कलेक्टर  
बाड़मेर

हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किया गया है जो वर्तमान में गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स आईनाथ गैस सर्विस, बाड़मेर को सुपुर्दगी पर दिया गया है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी द्वारा प्रकट जवाब में मेरे द्वारा अपनी रेस्टोरेन्ट पर रखे घरेलू गैस के सिलेण्डरों का मेरे द्वारा व्यावसायिक रूप से उपयोग नहीं लिया गया था, मात्र घर ले जाने के लिए ही होटल पर रखे हुए थे जबकि मौतबिरान के रूबरू मौके व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग लेते हुए जब्त किये गये हैं। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरीत एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तदधीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन मे पाये जाने से उपरोक्त दोनो गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलू गैस सिलेण्डर मय द्रवीकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करें।

6. आदेश आज दिनांक 27.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(टीना डाबी)  
जिला कलक्टर, बाड़मेर  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलेक्टर, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 76/2024

प्रार्थी-

राजस्थान सरकार जरिये  
प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी-

श्री शमशुद्धीन पुत्र श्री हमीद खान जाति  
मुसलमान, निवासी देरासर, जिला  
बाड़मेर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी सूचना बावजूद अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 26.11.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 19.09.2024 को श्री अनिल कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक बाड़मेर द्वारा मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स राज सरोवर फूड प्लाजा, बाड़मेर पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर दुकान सैल्समेन अप्रार्थी श्री शमशुद्धीन पुत्र हमीद खान उपस्थित मिला। उक्त दुकान में चाय, नाश्ता बनाकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा था। इस दुकान की जांच की तो एक घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रयोग में लेना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर (एचपीसीएल) मार्क का पाया गया, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है-



*श्री*

जिला कलेक्टर  
बाड़मेर

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	797969T	HPCL	18.700 Kg	15.400 Kg	3.300 Kg

मौके पर उक्त दुकान में पाये गये घरेलू उपयोग के गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किये जाने एवं संग्रह करने पर उक्त गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। मौके पर जब्तशुदा 1 घरेलू गैर सिलेण्डर मैसर्स आईनाथ गैस सर्विस बाड़मेर के मालिक श्री खेतसिंह पुत्र श्री बन्नेसिंह निवासी ग्राम गेहूँ, जिला बाड़मेर को सुपुर्दनामे पर सुपुर्द किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।
3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभियोजन अधिकारी को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग लेते हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किया गया है जो वर्तमान में गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स आईनाथ गैस सर्विस बाड़मेर को सुपुर्दगी पर दिया गया है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस



*(Handwritten signature)*

जिला कलेक्टर  
बाड़मेर

सूचना दिये जाने के बावजूद अपना जवाब एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया है और न ही उपस्थित होकर प्रतिवाद किया है जो उसकी अपराध की मौनस्वीकृति है। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों के विपरीत एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे के गैस सिलेण्डर आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तदधीन बनाये गये द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन में पाये जाने से उपरोक्त एक गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलू गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करें।

5. आदेश आज दिनांक 26.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(टीना डाबी)

जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर

बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 70/2024

प्रार्थी-  
राजस्थान सरकार जरिये  
प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी-  
श्री मालाराम पुत्र श्री गेनाराम जाति  
जाट, निवासी भादरेस जिला बाड़मेर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी सूचना बावजूद अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 27.11.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 19.09.2024 को श्री अनिल कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक बाड़मेर द्वारा मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स पुनेरी अमृततुल्य टी स्टॉल, बाड़मेर पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर दुकान सैल्समेन अप्रार्थी श्री मालाराम पुत्र श्री गेनाराम उपस्थित मिला। उक्त दुकान में चाय बनाकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा था। इस दुकान की जांच की तो एक घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रयोग में लेना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर (एचपीसीएल) मार्क का पाया गया, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है-

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	078524T	HPCL	18.800 Kg	15.600 Kg	3.200 Kg



श्री  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

मौके पर उक्त दुकान में पाये गये घरेलू उपयोग के गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किये जाने एवं संग्रह करने पर उक्त गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। मौके पर जब्तशुदा 1 घरेलू गैर सिलेण्डर मैसर्स आईनाथ गैस सर्विस बाड़मेर के मालिक श्री खेतसिंह पुत्र श्री बन्नेसिंह निवासी ग्राम गेहूँ, जिला बाड़मेर को सुपुर्दनामे पर सुपुर्द किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।
3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभियोजन अधिकारी को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग लेते हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किया गया है जो वर्तमान में गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स आईनाथ गैस सर्विस बाड़मेर को सुपुर्दगी पर दिया गया है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस सूचना दिये जाने के बावजूद अपना जवाब एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया है और न ही उपस्थित होकर प्रतिवाद किया है जो उसकी अपराध की मौनस्वीकृति है। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों के विपरीत एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप




  
जिला कलेक्टर  
बाड़मेर

सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे के गैस सिलेण्डर आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तदधीन बनाये गये द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन मे पाये जाने से उपरोक्त एक गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलू गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करें।

5. आदेश आज दिनांक 27.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(टीना डाबी)  
जिला कलक्टर, बाड़मेर  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 69/2024

प्रार्थी-

राजस्थान सरकार जरिये

प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी-

श्री दिपाराम पुत्र श्री लिखमाराम जाति

जाट, निवासी लालाणियों की ढाणी

जिला बाड़मेर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी सूचना बावजूद अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 27.11.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 19.09.2024 को श्री अनिल कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक बाड़मेर द्वारा मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स मॉ देवल टी प्वाइंट, बाड़मेर पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर दुकान मालिक अप्रार्थी श्री दिपाराम पुत्र लिखमाराम उपस्थित मिला। उक्त दुकान में चाय बनाकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा था। इस दुकान की जांच की तो एक घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रयोग में लेना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर (आईओसीएल) मार्क का पाया गया, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है-

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	372700S	IOCL	23.100 Kg	15.700 Kg	7.400 Kg



  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

मौके पर उक्त दुकान में पाये गये घरेलू उपयोग के गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किये जाने एवं संग्रह करने पर उक्त गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। मौके पर जब्तशुदा 1 घरेलू गैर सिलेण्डर मैसर्स आईनाथ गैस सर्विस बाड़मेर के मालिक श्री खेतसिंह पुत्र श्री बन्नेसिंह निवासी ग्राम गेहुँ, जिला बाड़मेर को सुपुर्दनामे पर सुपुर्द किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।
3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभियोजन अधिकारी को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग लेते हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किया गया है जो वर्तमान में गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स आईनाथ गैस सर्विस बाड़मेर को सुपुर्दगी पर दिया गया है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस सूचना दिये जाने के बावजूद अपना जवाब एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया है और न ही उपस्थित होकर प्रतिवाद किया है जो उसकी अपराध की मौनस्वीकृति है। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों के विपरीत एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप




  
जिला कलेक्टर  
बाड़मेर

सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे के गैस सिलेण्डर आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तदधीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन मे पाये जाने से उपरोक्त एक गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलू गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करें।

5. आदेश आज दिनांक 27.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(टीना डाबी)  
जिला कलक्टर, बाड़मेर  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 68/2024

प्रार्थी—  
राजस्थान सरकार जरिये  
प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी—  
आरिफ पुत्र श्री शेर मोहम्मद जाति तेली,  
निवासी तेलियों का वास, जिला बाड़मेर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी सूचना बावजूद अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 27.11.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 19.09.2024 को श्री अनिल कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक बाड़मेर द्वारा मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स एम. आर. मिष्ठान, बाड़मेर पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर दुकान मालिक अप्रार्थी श्री आरिफ पुत्र श्री शेर मोहम्मद उपस्थित मिला। उक्त दुकान में मिष्ठान, नाश्ता बनाकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा था। इस दुकान की जांच की तो चार घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रयोग में लेना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर (एचपीसीएल, बीपीसीएल) मार्क का पाया गया, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है—



  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	431401	HPCL	17.000 Kg	15.500 Kg	1.500 Kg
2.	094303T	HPCL	15.700 Kg	15.700 Kg	0.000 Kg
3.	540809S	BPCL	15.700 Kg	15.700 Kg	0.000 Kg
4.	420420T	BPCL	15.800 Kg	15.800 Kg	0.000 Kg

मौके पर उक्त दुकान में पाये गये घरेलू उपयोग के गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किये जाने एवं संग्रह करने पर उक्त गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। मौके पर जब्तशुदा 4 घरेलू गैर सिलेण्डर मैसर्स आईनाथ गैस सर्विस बाड़मेर के मालिक श्री खेतसिंह पुत्र श्री बन्नेसिंह निवासी ग्राम गेहूँ, जिला बाड़मेर को सुपुर्दनामे पर सुपुर्द किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभियोजन अधिकारी को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग लेते हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किया गया है जो वर्तमान में गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स आईनाथ गैस सर्विस बाड़मेर को सुपुर्दगी पर दिया गया है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस




*श्री*  
जिला कलेक्टर  
बाड़मेर

(प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस सूचना दिये जाने के बावजूद अपना जवाब एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया है और न ही उपस्थित होकर प्रतिवाद किया है जो उसकी अपराध की मौनस्वीकृति है। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों के विपरीत एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे के गैस सिलेण्डर आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तदधीन बनाये गये द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन में पाये जाने से उपरोक्त चारों गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलू गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करें।

5. आदेश आज दिनांक 27.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(टीना डाबी)  
जिला कलक्टर, बाड़मेर  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 74/2024

प्रार्थी-

राजस्थान सरकार जरिये श्री  
अनिल कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक,  
बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी-

श्री खेताराम पुत्र चौखाराम जाति जाट,  
निवासी ग्राम कानोड़ तहसील शिव, जिला  
बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वयं अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 27.11.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 18.09.2024 को श्री अनिल कुमार प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़मेर, श्री कंवराराम जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर, एवं श्री भारूराम, नायब तहसीलदार शिव के साथ प्रार्थी स्वयं ने मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स महादेव हैण्डलूम, कानासर के परिसर पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर दुकान सैल्समेन अप्रार्थी श्री खेताराम उपस्थित मिला। उक्त दुकान में घरेलु गैस सिलेण्डर व डायरियों का अवैध भण्डारण किया जा रहा था। इस दुकान की जांच की तो छः घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रयोग में लेना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर (आईओसीएल) मार्क का पाया गया, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है-



  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	471150S	<b>IOCL</b>	15.500 Kg	15.500 Kg	0.000 Kg
2.	102828P	<b>IOCL</b>	15.400 Kg	14.400 Kg	0.000 Kg
3.	873801J	<b>IOCL</b>	15.400 Kg	15.400 Kg	0.000 Kg
4.	390593T	<b>IOCL</b>	16.000 Kg	16.000 Kg	0.000 Kg
5.	0022544S	<b>IOCL</b>	15.800 Kg	15.800 Kg	0.000 Kg
6.	001481T	<b>IOCL</b>	15.600 Kg	15.600 Kg	0.000 Kg

मौके पर उक्त दुकान में पाये गये घरेलु उपयोग के छः गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किये जाने एवं संग्रह करने पर उक्त गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को मैसर्स भाटिया ग्रामीण वितरक के प्रतिनिधि श्री अशोक कुमार को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग लेते हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये हैं जो वर्तमान में गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स भाटिया ग्रामीण वितरक को




  
जिला कलेक्टर  
बाड़मेर

सुपुर्दगी पर दिये गये है। अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना -पत्र के संलग्न मौका जांच रिपोर्ट में जांच स्थल पर अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर व डायरियों का अवैध भण्डारण पाया गया था। जब मौके पर कनेक्शन डायरियां पाई गई थी तो फिर उक्त घरेलू सिलेण्डर का अवैध भण्डारण एवं व्यवसायिक उपयोग किस प्रकार किया जा रहा था ? स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है लिहाजा उक्त सिलेण्डर का व्यावसायिक प्रयोग होना साबित नहीं होता है। इसके अलावा प्रार्थी द्वारा प्रकरण में धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन होना प्रकट किया हैं जबकि इस आशय का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने का भी कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं। ऐसे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित होने एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के अभाव में सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद नहीं है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस को पुनः अप्रार्थी को सुपुर्द करें। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर को सूचनार्थ एवं पालना हेतु प्रेषित हो।

5. आदेश आज दिनांक 27.11.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



  
(टीना डाबी)  
जिला कलक्टर, बाड़मेर  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर